

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

37

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० संजय ठरैव, अंग्रेज से रंजीत मठान वरी० केरी तक

ल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 13 / 2021-22

वाद का प्रकार विपक्ष वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.8.21	आवेदक संजय ठरैव फिा पूर्वोक्त उरीव अंग्रेज- केरी को- भुराया बाग- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मेरे घर एवं जन विवरण प्रणाली दुखान का भुराया बाग रंजीत मठान वरी० फिा बालूमाथ अंग्रेज अंग्रेज-केरी द्वारा बंद कर दिया गया है। साथ ही आवेदन के आलोक में वाद से कारवाई आरम्भ हो जाती है। एवं राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है, जिससे प्रतिवेदन किया गया है कि सर्वे माहवा का खाना 222 ब्लॉक 1068 है जो गैरअनुमति प्राप्त है गुनी है। अतः पक्षों के लिखित विवरण काई। अतः पक्ष राजस्व संबंधी दस्तावेजों के साथ वाद को अगले तिथि को उपस्थित रहेंगे। वाद से अगली तिथि 22.8.21 को निर्धारित हो गयी है। 21.8.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता०

संजय अंत

बाग से

जीव भद्र वडी

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या-

13

/2021-22

वाद का प्रकार

विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.08.2021	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष उपस्थित । दोनों पक्ष की बातें सुनी । वाद की अगली तिथि 9.9.21 को निर्धारित की जाती है। 21.8.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
9/9/2021	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष हाजिर हैं । अग्रिम कार्य के सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी । वाद की अगली तिथि 20.09.2021 को निर्धारित किया जाता है। 9.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
20-9-2021	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष हाजिर हैं । उक्त की बातों को सुना । अग्रिम पक्ष के द्वारा गान्धन बाग में उपस्थित कृष्ण जल की अगली तिथि 9.10.21 को निर्धारित की जाती है। 9.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

संख्या ३४९९ अ.११ से २१०१३

तक

आदेश पत्रक - ता०

वाद संख्या- १३ / 2021-22

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद का प्रकार

विविध वाद

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क
गई कारवाई :
बारे में टिप्पण
तारीख सहित

आदेश की
क्र०सं० और
तारीख

2

3

9-10-2021

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। दोनों पक्ष की बातों को सुना। राफत कमी का ऑर्डर उद्दिष्टन प्राप्त है। वाद आदेश देते सुनिश्चित। उद्दिष्टन दिनांक 21-10-21 को है।

9-10-21
अंचल अधिकारी
बालूमाथ

21-10-2021

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अधीहस्ताक्षर के अन्तर्गत कार्य में उपर्युक्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सरी। वाद की आगली तिथि 13-11-2021 को अधीहस्ताक्षर की अभी है।

21-10-21
अंचल अधिकारी
बालूमाथ

13-11-21

अभिलेख उपस्थापित। वाद की सुनवाई दिनांक 16-11-21 को सिद्ध होगी।

13-11-21
अंचल अधिकारी
बालूमाथ

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____

अंचल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या- 13 / 2021-22

संलग्न पत्रों के माध्यम से जिला मजदूर कौट.

वाद का प्रकार _____

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई : बारे में टिप्पण तारीख सहित
1	2	3
16.11.21	रेजिस्ट्रार जिला मजदूर। प्रथम पक्ष का के द्वारा बताया गया कि मजदूर पक्ष का के द्वारा कने का रास्ता बन्द करने से आस जंगल में जानाजान में चोरी होती है तथा रास्ता बंद होने से जन किराने स्टेशन का कार्य प्रभावित हो रहा है मजदूर पक्ष का कहना है कि हम कने के ऊपर रास्ता एवं जंगल में प्रवेश के तान से आया है मजदूर पक्ष का बन्द कर दिया गया है। रास्ता बन्द होने से जंगल प्रविष्टि की जागी नहीं रही। जंगल प्रविष्टि में लपट बिना गया है कि रास्ता-222 जंगल 1068 Gm मजदूर है। बन्द के द्वारा मजदूर प्रविष्टि है कि रास्ता को खुलवाया जाए। ऊपर मजदूर का आवलन करने के बाद स्वयं भी दता प्रमाण दिया गया तथा पक्ष का कि रास्ता मजदूर मजदूर पक्ष के लोग दिनांक स्वयं का प्रकट है। दूसरी साक्ष्यों एवं तर्कों का प्रवर्तन करने के पश्चात् इस मजदूर पक्ष पहुँचा कि प्रकरण मजदूर कने कने रास्ता नहीं है।	

बालूमाथ ।

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

35

आदेश पत्रक

से

तक

जिला- लातेहार

वाद संख्या- 13 /2021-22

संलग्न डॉन बनाम रंजीत कुमार राय

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

उक्त मुक्ति हाल खने में मिनीय पक्ष के पूर्ण के नाम से ड्रिनी का दी गयी है रिमान 11.5 खाते में व्यापक भुक्तियाँ हैं। इसी भुक्ति के कारण सिवाद स्थिति नहीं हुई है पूर्व सिवाद खने का हाथ बन्द करने से सम्बंधित है जो खान खनना भी जीवन से जुड़ा है खान ही हाथ बन्द होने से जन प्रियता इमान तक लोगों भी पहुँच नहीं हो रही है इसी स्थिति में उक्त शाखा को कमलिम कोले का आदेश दिया जा रहा है पूर्व के पक्ष के शा भी बड़े पक्षकारों को समझाए हुए हाथ खोलने का आदेश दिए थे परंतु उनके कार्य भी मिनीय पक्षका आदेश का पालन नहीं किए। पुनः आदेश दिया जा रहा है कि शाखे पर से खरी-दिया के मिनीय पक्ष तकें हटाएँ। जो निर्णय के सिवाद अखंड पक्ष अन्न न्यायजन में प्रतीक करने के लिए खनने हैं।

लेखाप्रमुख संशोधित

अंचल अधिकारी
बालूमाथ

अंचल अधिकारी
बालूमाथ